न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।

06.03.2026

अभियुक्त मौ0 आजम की ओर से मु0अ0सं0 51/2026 अन्तर्गत धारा–305ए,317(2),331(4) बी0एन0एस0, थाना–भोजपुर, मुरादाबाद के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त को रंजिश की बिना पर झूठा फसांया गया है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी से कोई बरामदगी नहीं हुयी है। प्रार्थी करीब 15 दिन से जेल में बन्द है। प्रार्थी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः जमानत की याचना की गयी।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का प्रबल विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अपराध अजमानतीय है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति के अपराध की श्रेणी में आता है। अभियुक्त का अपराध अजमानतीय प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदानुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त मौ0 आजम की ओर से मु0अ0सं0 51/2026 अन्तर्गत धारा–305ए,317(2),331(4) बी0एन0एस0, थाना–भोजपुर, जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–06.03.2026

(दीपांकर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।